

दिनांक	आज्ञा पत्र
23.12.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलेंट/रेस्पो. उपस्थित - पीठासीन अधिकारी महोदय आज 23.12.23 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23.12.23 को पेश हों।</p>
22.12.23	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलेंट/रेस्पो. उपस्थित - पीठासीन अधिकारी महोदय आज 22.12.23 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31.12.23 को पेश हों।</p>
31.1.24	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलेंट शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। अतः अगले का शीघ्रतम निस्तारण किया जा सके पत्रावली अगले तलबी रिकार्ड दिनांक 23.2.24 को पेश हों।</p>
28/2/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक संघ के अग्रणी कार्य स्थिति में पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/5/24 को पेश हों।</p>
17.5.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलेंट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि अगली तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील दायर कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलेंट ने रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलेंट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फेरल बुचर होकर नभ से कम होकर बाद तलबी तदुभिल दायित दफ्तर हो।</p>
	<p>मू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी साकर</p>